भारत सरकार

पंचायती राज मंतालय

लोक सभा
आतारांकित प्रश्न संख्या 4074
दिनांक 25 .03.2025 को उत्तरार्थ

महिला सरपंच

4074 सुश्री इकरा चौधरी:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में प्रॉक्सी सरपंच या सरपंच पति की प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस बारे में जागरूकता अभियान चलाने और महिला सरपंचों को उनकी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में इस संबंध में आयोजित जागरूकता अभियान और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सामुदायिक रेडियो का उपयोग सफल रहा है और क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे सामुदायिक रेडियो का उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बार महिला सरपंचों की संख्या कितनी है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(प्रोफ. एस . पी . सिंह बघेल)

(क) चूंकि 'पंचायतें' राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, इसलिए महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यू. ई. आर.) की जिम्मेदारियों में पुरुष हस्तक्षेप से संबंधित शिकायतों को शिकायत निवारण के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को इस तरह के हस्तक्षेप को रोकने और पंचायती राज शासन में डब्ल्यू. ई. आर. की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए परामर्शिकाएं जारी किया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, पंचायती राज मंत्रालय ने सितंबर 2023 में महिला प्रधानों का प्रतिनिधित्व उनके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किए जाने के मुद्दे की जांच करने और उससे संबंधित अन्य मुद्दों की भी जांच करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति ने फरवरी 2025 में सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

सलाहकार समिति ने सिफारिश की कि राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई) में प्रॉक्सी नेतृत्व को खत्म करने के लिए आवश्यक उपाय करें। समिति ने फरवरी 2025 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. 2006 के सरकारी आदेश के अनुसार, प्रधान सचिव ने महिला पंचायत पदाधिकारी के स्थान पर पुरुष रिश्तेदार द्वारा बैठकों की अध्यक्षता करने की अनधिकृत प्रथा को रोकने का निर्देश दिया था।
ii. 1998 और 2012 के सरकारी आदेश के अनुसार, प्रधान सचिव ने दिशानिर्देश जारी किए थे कि निर्वाचित महिला पदाधिकारियों के रिश्तेदार उनके कार्यालयों में प्रवेश नहीं करेंगे और बैठकों में भाग नहीं लेंगे।
iii. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को ग्राम प्रधानों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने और 'प्रधान पति' संस्कृति को हतोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया था ।

(ख) से (ग) मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य महिला सरपंचों, कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई. आर.) को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थानों (पी. आर. आई.) को मजबूत करना है। इस पहल का उद्देश्य उनकी शासन क्षमताओं और नेतृत्व कौशल को बढ़ाना है, जिससे पंचायतें प्रभावी ढंग से काम कर सकें। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व पर केंद्रित कार्यशालाओं, सम्मेलनों, समितियों और विशेषज्ञ समूहों के माध्यम से महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यू. ई. आर.) के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। इन बातचीत से और विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों से प्राप्त जानकारी को, इस मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर जारी की जाने वाली परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्य सरकारों को सूचित किया जाता है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यू.ईआर) की क्षमता निर्माण के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने हेतु एक नॉलेज पार्टनर के रूप में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टी.आर.आई) के साथ साझेदारी की है। यह पहल उनके नेतृत्व और प्रबंधकीय कौशल को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

लिंग-समावेशी शासन को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एल. एस. जी.) के थीम 9 के तहत चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायतों (एम. डब्ल्यू. एफ. जी. पी.) में बदलने के प्रयास भी शुरू किए हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस परिवर्तन के लिए प्रति जिला एक ग्राम पंचायत की पहचान की है। एक नॉलेज पार्टनर के रूप में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू. एन. एफ. पी. ए.) के सहयोग से, मंत्रालय प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर रहा है और मास्टर प्रशिक्षकों के एक कैडर को भी प्रशिक्षित कर रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य महिला-अनुकूल शासन को बढ़ावा देना और ग्रामीण

शासन संरचनाओं में महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई. आर.) और पंचायती राज कार्यकर्ताओं (पी. आर. एफ.) की क्षमता का निर्माण करना है।

इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय बहु-आयामी मीडिया और आईईसी रणनीति के माध्यम से महिला सरपंचों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए जागरूकता बढ़ाने, संवेदनशील बनाने और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के नेतृत्व को उजागर करते हुए प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक कवरेज सुनिश्चित की जाती है। जमीनी स्तर के नेतृत्व को प्रेरित करने के लिए महिला सरपंचों की सर्वोत्तम प्रथाओं और उपलब्धियों पर ऑडियो-विजुअल फिल्में सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित की ज रही हैं। गहन और नियमित सोशल मीडिया अभियान सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रमुख हस्तक्षेपों को बढ़ावा देते हैं, जबकि "असली प्रधान कौन?" नामक एक विशेष फिल्म सहित ऑडियो-विज़ुअल सामग्री, जिसे ओटीटी प्लेटफार्मों पर भी प्रसारित किया गया है, ने आउटरीच को काफी बढ़ाया है। इसके अलावा, विशिष्ट महिला दिवस के अवसरों पर और महिला-अनुकूल पंचायत जैसे महिला मुद्दों पर विभिन्न कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए गए हैं ताकि उन्हें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों और सफलताओं की अपनी कहानियों को साझा करने के लिए मंच दिया जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि राज्य पंचायती राज विभाग ने राज्य की महिला सरपंचों के लिए नेतृत्व कौशल, संचार कौशल और लैंगिक समानता पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन चरणों में आयोजित किया है। 75 जिलों में से 69 जिलों में प्रशिक्षण पूरा हो चुका है. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और डिजिटल साक्षरता सहित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करके स्थानीय शासन में महिला नेताओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने समुदायों की प्रभावी ढंग से सेवा कर सकें।

(घ) पंचायती राज मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन (सीआरए) को मंत्रालय की पहलों पर 'जन जन तक जानकारी' कार्यक्रम श्रृंखला आयोजित करने और प्रसारित करने तथा प्रायोगिक आधार पर बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 15 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से प्रॉक्सी-सरपंच या सरपंच पति की प्रथा से संबंधित मामलों पर जागरूकता फैलाने का काम सौंपा है। सरपंच पति मामले के अलावा, अन्य नौ प्रकरणों को कवर किया गया, जिनमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वयं के राजस्व स्रोतों का संघठन, जल, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सुशासन आदि के क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों के मामले और संभावनाएं शामिल थीं। हालाँकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि विशिष्ट सामुदायिक रेडियो का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ड़) पंचायती राज मंत्रालय ने महिला सरपंचों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों और महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का रिकॉर्ड बनाए रखा है। पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित प्रतिनिधियों और महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) की राज्य-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

***

अनुबंध

पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित प्रतिनिधियों और महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) की राज्य-वार संख्या

क्रा. सं.	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या	निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	156050	78025
2	अरुणाचल प्रदेश	9383	3658
3	असम	वर्तमान में कोई पंचायत मौजूद नहीं है। पंचायत निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। चुनाव दिसंबर, 2023 में होने वाले थे, लेकिन इसमें देरी हुई है।	
4	बिहार	136573	71046
5	छत्तीसगढ़	170465	93392
6	गोवा	1555	571
7	गुजरात	144080	71988
8	हरियाणा	70035	29499
9	हिमाचल प्रदेश	28723	14398
10	झारखंड	59638	30757
11	कर्नाटक	वर्तमान में कोई पंचायत मौजूद नहीं है। प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। चुनाव फरवरी, 2021 में होने वाले थे, लेकिन इसमें देरी हुई है।	
12	केरल	18372	9630
13	मध्य प्रदेश	392981	196490
14	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों के चुनाव उनके पांच साल के कार्यकाल के अनुसार अलग-अलग तारीखों पर होने हैं।	वर्तमान में कोई ब्लॉक पंचायत (बी. पी.) और जिला पंचायत (डी. पी.) मौजूद नहीं है। बी. पी. और डी. पी. निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। चुनाव जनवरी/फरवरी, 2022 में होने वाले थे, लेकिन इसमें देरी हुई।-

15	मणिपुर	वर्तमान में कोई पंचायत मौजूद नहीं है। पंचायत निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। चुनाव सितंबर, 2022 में होने वाले थे, लेकिन इसमें देरी हुई।	
16	मेघालय	भाग IX के अंतर्गत नहीं आता है।	
17	मिजोरम	भाग IX के अंतर्गत नहीं आता है।	
18	नागालैंड	भाग IX के अंतर्गत नहीं आता है।	
19	ओडिशा	107487	56627
20	पंजाब	ग्राम पंचायत चुनाव हो चुके है लेकिन ई. आर. के विवरण को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।	बी. पी. और डी. पी. चुनाव लंबित हैं।
21	राजस्थान	126271	64802
22	सिक्किम	1153	580
23	तमिलनाडु	वर्तमान में कोई पंचायत मौजूद नहीं है। पंचायत निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया। चुनाव दिसंबर, 2024 में होने वाले थे।	
24	तेलंगाना	वर्तमान में कोई पंचायत मौजूद नहीं है। पंचायत निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया। ग्राम पंचायत (जी. पी.) चुनाव जनवरी में और बी. पी. और डी. पी. चुनाव मई, 2024 में होने हैं, लेकिन इसमें देरी हुई।	
25	त्रिपुरा	6909	3126
26	उत्तर प्रदेश	913417	304538
27	उत्तराखंड	वर्तमान में कोई पंचायत मौजूद नहीं है। पंचायत निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया। चुनाव 2024 में होने वाले थे।	
28	पश्चिम बंगाल	59229	30458
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	858	306
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	147	47
31	जम्मू और कश्मीर	वर्तमान में कोई पंचायत मौजूद नहीं है। पंचायत निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया। चुनाव दिसंबर, 2023 में होने वाले थे, लेकिन इसमें देरी हुई।	

32	लद्दाख	वर्तमान में कोई पंचायत मौजूद नहीं है। पंचायत निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया। चुनाव दिसंबर, 2023 में होने वाले थे, लेकिन इसमें देरी हुई।
33	लक्षद्वीप	वर्तमान में कोई पंचायत मौजूद नहीं है। पंचायत निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया। चुनाव दिसंबर, 2022 में होने वाले थे, लेकिन इसमें देरी हुई।
34	पुडुचेरी	वर्तमान में कोई पंचायत मौजूद नहीं है। पंचायत निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया। चुनाव होना था लेकिन 2011 से विलंबित था।

स्रोतः राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी या उनके द्वारा पंचायती राज मंत्रालय को प्रदान की गई जानकारी

***